न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/12/2014	17–10–2014	25–10–2019

01– लालसिंह पुत्र बोदनराम
02– मनोहरलाल पुत्र कन्हैया
03– कुन्दन सिंह पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम शेरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–निगरानीकार

बनाम

01– श्रीचंद गोयल पुत्र श्री प्रभुदयाल जाति महाजन निवासी ग्राम शेरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।
02– विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर।
03– सरपंच, ग्राम पंचायत कतोपुर पं.स. कोटकासिम जिला अलवर।

–असल अनिगरानीकार

04– मिश्रीलाल पुत्र सूरजभान
05– हजारी लाल पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी ग्राम शेरपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–तरतीबी अनिगरानीकार

निगरानी विरूद्ध आदेश 19.08.2014 विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटकासिम जिसके द्वारा ग्रम पंचायत कतोपुर का निर्णय दि. 05.10.2012 यथावत रखने के आदेश दिये गये है।

उपस्थितः–
01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील निगरानीकार
02–श्री अशोक कुमार कांवत –वकील अनिगरानीकार

–:निर्णयः–

निगरानीकार ने यह निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटकासिम के आदेश दिनांक 19.08.2014 जिसके द्वारा ग्रम पंचायत कतोपुर का निर्णय दि. 05.10.2012 यथावत रखने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारो को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलान्ट के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा सार्वजनिक स्थान को गैर निगरानीकार सं. 1 की सम्पत्ति मानकर निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है, जो रिकॉर्ड एवं मौके के विपरित है। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ दोनों न्यायालयों द्वारा गौर नहीं किया गया। ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा एक ही दिन में, एक ही प्रकरण में दो निर्णय पारित किये है, जो सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दुर्भावना पूर्वक व्यक्तिगत रंजीश रखने के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

कारण किये गये है। ग्राम पंचायत कतोपुर के सदस्य पंचों ने अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शपथ–पत्र प्रस्तुत किये है कि उस दिन ग्राम पंचायत ने उनकी जानकारी में निर्णय पारित नहीं किया है तथा जो भी हस्ताक्षर ग्राम पंचायत के निर्णय पर हुए है वह फर्जी है। इस तथ्य की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नहीं किया गया। चूंकि प्रकरण सार्वजनिक भूमि की चारदीवारी के निर्माण से संबंधित था, इसलिए पंचायत समिति के द्वारा निर्णय में यह लिखना कि मनोहरलाल पुत्र कुन्दन सिंह के विरूद्ध ग्राम पंचायत ने निर्णय पारित नहीं किया गया है। इसलिए अपील खारिज की जाती है। विकास अधिकारी की कमजोर मानसिकता का परिचायक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उनमें न तो कानूनी पहलू पर विचार किया गया, ना ही मौके एवं रिकॉर्ड की स्थिति के संबंध में मत व्यक्त किया गया। केवल यह कथन कि मिश्रीलाल अपील में शामिल नहीं है, हजारी लाल को अपील से हटाया जाता है तथा कुन्दन सिंह व मनोहरलाल के खिलाफ कोई निर्णय पारित किया गया है। केवल लालसिंह ही शेष रह जाता है। उक्त पंक्तियां दर्ज कर अपील का निर्णय किया गया है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। प्रकरण में वादग्रस्त सम्पत्ति आबादी क्षेत्र की ना होकर गैरमुमकिन चाहा है। जिसका खसरा नम्बर 256 रकबा 0.0400 है0 वाके ग्राम शेरपुर तहसील कोटकासिम में स्थित है। जिसका अमल जमाबंदी संवत् 2070–73 में है। उक्त आराजी गैरमुमकिन होने के कारण इसका रकबा 0.0400 है0 छोड़ा हुआ था। जिसमें निगरानीकार के पूर्वज इस गैरमुमकिन चाहा से अपनी कृषि भूमि की सिंचाई लाव–चड़स से करते थे। जिसमें चार बैल एक लाव में होते थे। जब दोपहर का समय होता था तो बैल सिंचाई के लिए लाव चडस चलाकर पानी कुएं से निकालते थे। उनके लिए यह जगह छोडी हुई थी। किसान भी दोपहर के समय आराम करते थे। बाद में सैटलमेंट के समय इसको जलमग्न दिखाया गया है। क्योंकि वर्षा ज्यादा होने के कारण यहां पानी भरा रहता था। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो रहा है। वर्षा कम होती गई, तो कुओं मे पानी सुख गया व पानी न रहने की वजह से उक्त आराजी खाली पड़ी रहती थी। जिसको सार्वजनिक कार्यों में काम में लेने लग गये। गैर निगरानीकार श्रीचंद गोयल का इस जायदाद से कोई लेना–देना नहीं है। इसके पुख्ता मकान ग्राम की आबादी में बने हुए है। जिसका निकास पूर्व दिशा में है। मिन निगरानीकार मात्र सरकारी जमीन को बचाने के लिए मुकदमा लड़ रहा है। दि0 21.05.2012 को अनिगरानकार द्वारा ग्राम पंचायत कतोपुर से जो स्वीकृति ली गई है, वह चालाकी से सरकारी जमीन की ली गई है। ग्राम पंचायत कतोपुर को जलमग्न जमीन पर व कुएं की जमीन पर चारदीवारी की स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं है। गैर निगरानीकार ने ग्राम पंचायत कतोपुर से चारदीवारी निर्माण की स्वीकृति प्राप्त की है, उसमें दि. 20.06.2006 को मौका रिपोर्ट है व नजरी नक्शा दि. 05.08.2006 का विवरण दिया गया है वो ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है। नक्शा स्वंय गैर निगरानीकार ने अपने हाथ से बनाया है। ग्राम पंचायत ने उसी नक्शे पर सील–मोहन लगाकर जारी किया गया है। पंचायत समिति द्वारा हल्का पटवारी से उक्त सरकारी जमीन की रिपोर्ट लेनी चाहिए थी कि वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है या आबादी भूमि है। मिन निगरानीकार द्वारा अपने हित के लिए मुकदमा नहीं किया है ना ही निगरानीकार का कोई हित निहित है। गैर निगरानीकार चालाक चतुर आदमी व पढ़ा लिखा, मास्टर से सेवानिवृत्त है। पंचायत समिति द्वारा जो निर्णय दिया गया है वो ग्राम पंचायत कतोपुर के फैसले को मानकर ही दिया गया है। जबकि पंचायत समिति में पंचों द्वारा अपने शपथ–पत्र पेश किये गये थे परन्तु उन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (वित्तीय) अलवर (राज

पत्रों पर गौर नहीं किया गया। गैर निगरानीकार तत्कालीन विधायक का आदमी था। इसलिए पंचायत समिति ने किसी की बात नहीं सुनी। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकर फरमायी जाकर ग्राम पंचायत कतोपुर का निर्णय दि. 05.10.2012 व पंचायत समिति कोटकासिम का निर्णय दि. 19.08.2014 को निरस्त किया जाकर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अनिगरानीकार ने अपनी लिखिल जवाब/बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निगरानीकार के द्वारा ग्राम पंचायत कतोपुर में दि. 21.05.2012 को प्रथम उज्रदारी प्रा.पत्र पेश किया। ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा वस्तुस्थिति व मौके की जांच कर अनिगरानीकार के पक्ष में निर्णय पारित किया है। उस समय निगरानीकार सं. 2 मनोहरलाल व निगरानीकार सं. 3 कुन्दन सिंह ने ग्राम पंचायत कतोपुर में कोई उज्रदारी पेश नहीं की। इन लोगों ने ग्राम पंचायत में पक्षकार न होते हुए भी पंचायत समिति में अपील पेश की। विकास अधिकारी ने अपील में उभय-पक्षों को सुनकर कानूनी प्रकिया का पालन करते हुए अपील का निर्णय किया था। लेकिन निगरानीकार के मंसुबे गलत होने की वजह से यह निगरानी न्यायालय हाजा को पेश की गई है। विवादित प्लॉट असल निगरानीकार की सम्पत्ति एवं पुस्तेनी जायदाद होने के कारण ग्राम पंचायत ने लिखित प्रमाणों के आधार पर निर्माण की स्वीकृति दी थी। नौ पंचों की सर्वसम्मति से किया गया पहला फैसला पत्रावली से गायब हो गया था। पंचायत ने अपना मान-सम्मान बचाने तथा लोक मर्यादा का पालन करते हुए पंचों की सर्वसम्मति से दुसरा फैसला किया। दोनों फैसले एक समान है तथा एक ही अनिगरानीकार के पक्ष में है। दुसरा निर्णय लिखने से पहले पंचायत द्वारा उपस्थित सभी व्यक्तियों से प्रथम निर्णय गायब होने की पूछताछ भी की थी। लेकिन उस समय लालसिंह व डॉ. हनुमान उपस्थित नहीं थे। दुसरे निर्णय का भी खुलासा अपील के दौरान हुआ। सही मायने में इन लोगों के विरूद्ध लोक दस्तावेज गुम करने, चुराने एवं साक्ष्य विलोपन के मामले में विकास अधिकारी के आदेश से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। किन्तु विकास अधिकारी द्वारा उदार भावना मानते हुए इनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज नहीं करवायी। लेकिन इनसे प्रथम असल फैसला दि. 23.05.2014 तक दोपहर 12 बजे तक कार्यालय में जमा करवाने तथा फैसला अपने पास रखने का कारण भी पूछा था। लालसिंह द्वारा विकास अधिकारी को पेश अपनी अपील के साथ एक दिन के दो फैसले पेश किये है। जिसमें प्रथम फैसले के असल की फोटोप्रति पेश की गई है, जिससे स्वःत ही साबित हो जाता है कि प्रथम असल फैसला लालसिंह के पास है। विकास अधिकारी की जांच में 6 पंचों के शपथ-पत्र असत्य, निराधार और फर्जी पाये गये। जिन्हें लालसिंह द्वारा दि0 02.11.2012 के तस्दीक किये हुए है, को करीब 10 माह बाद दिनांक 21.08.2013 को अपने शपथ-पत्र के साथ अपनी अपील के समर्थन में पेश किये है। जिनमें क्रम सं. 2 पर लिखा है कि दि. 05.10.2012 को पंचायत ने कोई फैसला ही नहीं किया। जबकि विकास अधिकारी की शपथ-पत्र की जांच में क्रम सं. 2 पर लिखा है कि दिनांक 05.10.2012 को पंचायत ने फैसला किया है। विवादित प्लॉट कोई सार्वजनिक जगह नहीं है तथा निगरानीकार द्वारा भी सार्वजनिक होने का कोई प्रमाण भी पेश नहीं किया है। मूल निगरानी के अवलोकन कएने के बाद निगरानी में की गई प्रार्थना के अंत में गौर फरमाया जावें। निगरानीकार कुन्दन सिंह दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त व पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने अंगूठा निशानी की हुई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में की गई अपील में कुन्दन सिंह द्वारा हस्ताक्षर किये हुए है। माह जुलाई में डॉ0 हनुमान ने अपनी गली तथा मेरे

अतिरिक्त जिला कलैक्टर (द्वितीय) अलवर (राज०)

पुस्तैनी प्लॉट में जबरदस्ती कूड़ा डालना शुरू कर दिया था। दो बार गांव के प्रमुख लोगों के समझाने पर तथा गलती मानने पर भी कूडी नहीं हटायी। असल अनिगरानीकार ने इसकी शिकायत श्रीमान् जिलाधीश महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर को पेश की गई। अब इस कार्यवाही के आधार पर डॉ. हनुमान ने स्टॉम्प पैपर पर लिखे समझौते पत्र दि. 05.08.2011 में असल अनिगरानीकार के प्लॉट में कूड़ी डालना स्वीकार किया तथा उन दोनों कूडीयों को समझौते अनुसार हटा लिया गया। मेरे प्लॉट की उत्तरी दीवार को लालसिंह की पश्चिमी दीवार की सीध तक सामलाती बनाना तय किया था। लालसिंह वगै0 निगरानीकार ने मेरा प्लॉट कुआं की गौण है या सार्वजनिक जगह है, से संबंधित कोई लिखित प्रमाण पेश नहीं किया गया है और न ही इनके पास कोई प्रमाणित दस्तावेज है। केवल पंचायत के फैसले को गायब करके तथा पंचों के निराधार व फर्जी शपथ–पत्र तैयार करके न्यायालय को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। जबकि श्रीचंद गोयल अनिगरानीकार ने उस प्लॉट को स्वंय का होने संबंधी अनेकों प्रमाण पेश किये है। अतः निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा किया गया निर्णय दिनांक 05.10.2012 दो बार किया गया है व ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा अपने द्वितीय निर्णय या आदेशिका में कहीं भी अंकित नही किया गया है कि पूर्व निर्णय दिनांक 05.10.2012 चोरी हो गया है या लालसिंह ने चुराया है। लालसिंह द्वारा पूर्व निर्णय की फोटोप्रति पेश करना यह नही दर्शता है कि उक्त निर्णय लालसिंह द्वारा चुराया गया है। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई एफ. आई.आर. भी दर्ज नही कराई गई है, जो ग्राम पंचायत कतोपुर की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। अधिनस्थ न्यायालय प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति कोटकासिम जिला अलवर द्वारा भी उक्त संबंध में ग्राम पंचायत कतोपुर को कोई निर्देश नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.08.2014 में अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील का पूर्ण सार भी अंकित नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा पारित किये गये दोनो निर्णयों का भी अवलोकन नही किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये दोनो निर्णयों को अवलोकन से पाया जाता है कि "दक्षिण दिशा की तरफ दीवार सी.सी. रोड से" तक दोनो निर्णय बिलकुल समान है किन्तु इसके बाद प्रथम निर्णय में आठ फुट छोडकर लिखा हुआ है जबकी द्वितीय निर्णय में नौ फुट छोडकर लिखा हुआ है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा किये गये दोनो निर्णयों में भिन्नता है। अतः निगरानीकार की निगरानी रिमाण्ड योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी निगरानीकार इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है की ग्राम पंचायत कतोपुर द्वारा किये गये निर्णयों की पूर्ण जांच करें तथा मौके एवं रिकॉर्ड पर पूर्ण अवलोकन कर नियमों के आलोक में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति ग्राम पंयचायत कतोपुर एंव विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोटकासिम को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)